

बिहार गजट

असाधारण अंक बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

(सं0 पटना 398)

12 श्रावण 1933 (श0) पटना, बुधवार, 3 अगस्त 2011

> सं0 15/पी 5-07 / 10-420 मानव संसाधन विभाग

संकल्प

15 फरवरी 2011

विषय :- विद्यालयी एवं व्यावसायिक शिक्षा से वंचित बालक/बालिकाओं एवं अनय वयस्कों को मुक्त विद्यालयी शिक्षा'' के माध्यम से शिक्षा एवं व्यावसायिक शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए 'बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड' स्थापित करने के संबंध में।

विद्यालयी एवं व्यावसायिक शिक्षा से विचत बालक/बालिकाओं एवं अन्य वयस्कों को ''मुक्त विद्यालयी शिक्षा'' के माध्यम से शिक्षा एवं व्यावसायिक शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए ''बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड'' स्थापित करने का बिहार सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है।

देश एवं राज्य में भारी संख्या में बालक/बालिकाओं एवं अन्य वयस्क, औपचारिक शिक्षा एवं व्यावसायिक शिक्षा की मुख्य धारा से कितपय समाजिक, आर्थिक एवं भौगौलिक कारणों से बाहर है। एसे सभी शिक्षित रूप से पिछड़े वर्गों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए ''दुरस्थ एवं मुक्त विद्यालयी शिक्षण प्रणाली'' एक सशक्त माध्यम के रूप में पुरे देश में उभरी है। यह उल्लेखनीय है कि सर्व शिक्षा अभियान की सफलता के पश्चात् एवं ''राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के आरंभ होने के बाद, औपचारिक शिक्षा प्रणाली पर दबाव और अधिक बढ़ेगा। इस दबाव के कारण उत्पन्न मांग की पूर्ति में यह बोर्ड सार्थक भूमिका निभाएगा।

'' बिहार मुक्त विद्यालयो शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड'' के संबंध में मुख्य अंश निम्नवत है -

- (क) इस संस्था का नाम'' बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड'' होगा।
- (ख) इस नाम की संस्था को सोसायटी रजिस्टेशन एक्ट 1860 के अंदर स्थापित किया जायेगा।
- (ग) इसका संचालन सामान्य परिषद् एवं कार्यकारी बोर्ड के माध्यम से होगा।
- (घ) मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी, निदेशक, उप-निदेशक आदि के पद राज्य सरकार के किमयों की प्रतिनियुक्ति के आधार पर प्रतिनियुक्ति से भरे जायेगें।
- (इ) सहायक निदेशक, प्रशाखा पदाधिकारी, सहायक, कम्प्युटर ऑपरेटर, रोकड्पाल, आदेशपाल आदि राज्य सरकार से प्रतिनियुक्ति/सीधी नियुक्ति/सीवदा के आधार पर रखें जायेगें।

यह बोर्ड अन्य औपचारिक विद्यालयी शिक्षा बोर्ड के समतुल्य होगा एवं प्रारंभिक, माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक एवं डिग्री पूर्व तक की सामान्य एवं व्यावसायिक शिक्षा ''मुक्त एवं दूरस्थ विद्यालीय प्रणाली के माध्यम से प्रदान करेगा। इसके माध्यम से आवेदकों का समान्य एवं व्यावसायिक शिक्षा के विषयों में नामांकन किया जायेगा।

बिहार गजट (असाधारण) 3 अगस्त 2011

इन विषयों में शिक्षण-प्रशिक्षण प्रदान करने के बाद यह बोर्ड उनकी परीक्षा लेगा एवं मुल्याकन के पश्चाद छात्र /छात्राओं को प्रमाण-पत्र निर्गत करने का कार्य करेगा जिससे इसे एक ''शिक्षा बोर्ड'' के रूप में आय प्राप्त होगी। इसके अतिरिक्त यह बोर्ड मानव संसाधन विकास विभाग एवं विभाग एवं विभाग के संस्थाओं द्वारा दिए गए कार्यक्रमों कर संचालन भी करेगा।

बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड के एसोशिएसन में अध्यक्ष, मुख्यकार्यपालक पदािधकारी सामान्य निकाय, कार्यकारी बोर्ड होंगे। सोसायटी के प्राधिकार एवं समितियां भी होगी। सामान्य निकाय के सदस्यों में मंत्री, मानव संसाधन विकास विभाग, प्रधान सचिव, राज्य परियोजना निदेशक, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद् बिहार सरकार द्वारा नामित एक शिक्षाविद, निदेशक प्राथमिक शिक्षा, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा आदि होंगे। सदस्यता की शर्ते भी निर्धारित की गई है।

सामान्य निकाय अन्य कार्यों के अलावा सोसायटी को सलाह देगा एवं वार्षिक समीक्षा प्रतिदिन की जाँच भी करेगा। सोसायटी का एक कार्यकारी बोर्ड भी होगा जिसमें मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी अध्यक्ष एवं सचिव बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड के सदस्य सचिव होंगे। राज्य परियोजना निदेशक, बिहार शिक्षापरियोजना परिषद एवं राज्य परियोजना निदेशक, बिहार माध्यमिक शिक्षा परिषद आदि इसके सदस्य होंगे। समान्यतया कार्यकारी बोर्ड में सोसायटी की सभी शिक्तयाँ, नीति निर्धारण सिहत निहित होगी जो इसके कार्यों को करने और इसे सुचारू एवं प्रभावी रूप से कार्य करने के लिए आवश्यक हो। हालांकि यह अपने शिक्तयों का प्रयोग इसके मिशन कार्य एवं उद्देश्य की प्राप्ति के लिए समान्य निकाय से समय-समय पर प्राप्त सलाह के आधार पर करेगी। मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी सचिव एवं अन्य पदाधिकारियों के दायित्यों का भी निर्धारण किया गया है।

सोसायटी उचित खातों एवं अन्य संबंधित रिकार्ड संधारित करेगी तथा रिसीट पेमेंट एकाउन्ट, देनदारी, परिसम्पितयों के वक्तव्य जैसा कि सरकार निर्धारित करे वार्षिक लेखा के लिए तैयार करेगी। सोसायटी के खातों का महालेखाकार कार्यालय बिहार के द्वारा विधिवत लेखा परीक्षण कर बिहार सरकार को वार्षिक रूप से अग्रसारित किया जायेगा और सरकार लेखा वर्ष की समाप्ति के नौ महीने के अंदर इसे विधान-सभा के पटल पर रखेगी।

सोसायटी के विघटन की स्थिति में बिहार सरकार के संकल्प के अनुसार, सोसायटी पंजीकरण अधिनियम (1860 का XXI) की धारा के प्रावधान के अनुसार विघटन सरकार के सक्षम प्राधिकार की पूर्वानुमित से होगा एवं विघटन के पश्चात सोसायटी की पिरसंपितयाँ एवं देनदारियाँ राज्य सरकार में समाहित हो जायेंगी। सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंदर सभी उपबंध जैसा कि बिहार राज्य के अंदर लागू होते है इस सोसायटी पर लागू होगें।

बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड के एसोशिएसन का ज्ञापन में बोर्ड के लक्ष्य उद्देश्य एवं कार्यों की परिधी परिभाषित की गई है। बोर्ड सामान्य व्यावसायिक एवं सतत शिक्षा के विकास के लिए पाठ्यक्रयों को प्रस्तावित करेगा जो स्नातक स्तर के नीचे (सिर्टिफिकेट /डिप्लोमा) के स्तर तक का प्रमाण पत्र दें। बोर्ड मुक्त विद्यालयी शिक्षा एवं मुक्त शिक्षण के क्षेत्र में शोध, नवाचार एवं प्रयोग की जिम्मेदारी लेगा तथा प्रमाणिक नवाचार गितविधयों को बिहार एवं अन्य राज्यों में प्रसारित करेगा। यह छात्रों के पंजीकरण, परीक्षा में बैठने के लिए पात्रता परीक्षा में उनकी उपस्थिति, परीक्षा का संचालन क्रेडिट ट्रांसफर एवं सोसायटी के शिक्षण परीक्षा तथा प्रमाण पत्र देने का कार्य के, संचालन के लिए सोसायटी में इन कार्यों की पूर्ति हेतु अनुकूल एवं आवश्यक नियमों एवं शर्तों का निर्धारण करना एवं विहित करने के अलावा अन्य कार्य भी करेगा।

सोसायटी के सामान्य निकाय के अध्यक्ष मंत्री, मानव संसाधन विकास विभाग बिहार सरकार होंगे। अन्य सदस्यों में प्रधान सिचव मानव संसाधन विकास विभाग एवं वित्त विभाग, समाज कल्याण विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद बिहार माध्यमिक शिक्षा परिषद एन०सी०ई०आर०टी०, बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड, कुलपित नालन्दा मुक्त विश्वविद्यालय कुलपित चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्विद्यालय पटना, एस०एल०एम०ए० प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा के प्रधान सचिव/सचिव/निदेशक होंगें।

आदेश-आदेश दिया जाता है कि संकल्प को बिहार गजट में जन साधारण की सूचना हेतु प्रकाशित किया जाए तथा इसकी प्रतिलिपि निदेशक उच्च शिक्षा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ भेजा जाए।

> बिहार-राज्यपाल के आदेश से, मिन्हाज आलम, सरकार के विशेष सचिव

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित। बिहार गजट (असाधारण) 398-571+200-डी0टीपी0।

Website: http://egazette.bih.nic.in

भारतीय विश्वविद्यालय संघ

ए.आई.यू हाउस-16, कॉमरेड इन्द्रजीत गुप्ता मार्ग नई दिल्ली - 110 002

Association of Indian Unitversities

AIU House - 16, Comrade Indrajit Gupta Marg New Delhi - 110 002

> No.: EVN (354)/2012/ March 20, 2012

Mr. Dinesh Singh Bist. CEO Bihar Board of Open Schooling and Examination Chanakya National Law School Campus Meethapur, Patna

Dear Sir,

This has reference to your letter No, A13 dated 23rd Febuary, 2012 on the parity of Secondary and Senior Secondary Examination Conducted by Bihar Board of Open Schooling and Examination (BBOSE).

AlU accords equivalence to 10-year Secondary and 12-year Senior Secondary Higher Secondary/Intermediate/Pre-University examinations conducted by the Boards established by the State/Central Government (s) and approved by the Council of Boards of School Education in India (COBSE) Delhi.

We have noted that the name of the Bihar Board of Open Schooling and Examination, Patna is has been included in the approved list of COBSE.

The Academic Stream Examinations Conducted by BBOSE will be accepted at par with Higher School Certificate Examination of National Board of Open Schooling (NIOS), Provided the eligibility requirements, course curriculum evaluation and examination methodology. No. of Subjects etc. remains the same.

Kindly also let us know as to whether or not, the Senior Secondary Examination of BBOSE will be accepted at par by the Universities of Bihar for the purpose of admission to Higher Studies as well as for employment.

Thanking you,

Yours faithfully

Section Officer (Evaluation)

Phone : 23230059, 23231097, 23232429, 23232435, 23233090 e-mail publicationsales@aluweb.org. sgoffice@aluweb.org. info@aluweb.org. website : http://www.aluweb.org Fax (91)-011-23232131

भारतीय विद्यालय शिक्षा बोर्ड मण्डल

Council of Boards of School Education of India

6H BigJo's Tower, A-8 Netaji Subhash Place, Ring Road, Delhi - 110034

Mr. Vineet Joshi, IAS

President Off. (011) 22467263

Ref. No. COBSE/C. 66/2011

Prof. D.V. Sharma

General Secretary Off. (011) 27351264 Res. (011) 27311929

Dear Shri Bist,

Subject: Grant of COBSE membership to BBOSE

This is Continuation of this office letter dated 11 January 2012 conveying approval of the competent authority to the grant of membership of COBSE to BBOSE.

We welcome BBOSE as member of COBSE and the Certificates issued by Bihar Board of Open Schooling & Examination, Patna will be treated as recognized by our member boards. The name of BBOSE will be included in the next issue of the COBSE Telephone Directory.

Yours sincerely

(D.v. Sharma)
General Secretory

Shri D.S. Bist
Chief Executive Officer
Bihar Board of Open Schooling & Examination
Nyaya Nagar, Chanakya National Law Univ, Campus
Mithapur, Patna-800001

Suportant

F 2-35/2011 School-3 **Government of India Ministry of Human Resource Development Department of School Education & Literacy**

Shastri Bhawan, New Delhi Dated: 24 April 2017

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Recognition of certificates/qualifications awarded by State Open Schools (SOS) for the purpose of employment in Central **Government Offices**

Please refer to MHRD O.M. of even no. dated 7th September, 2012 (Copy enclosed) on the subject mentioned above. Para 3 of the said O.M. is withdrawn/cancelled and is substituted as under.

"The matter has been considered in consultation with National Institute of Open Schooling (NIOS) which is an autonomous body of MHRD. NIOS has informed that the Rajasthan SOS, Jaipur and APOSS are recognised Boards of secondary and senior secondary education. As regards validity of their certificates for employment purposes, NIOS has informed that concerned APOSS and Rajasthan SOS, Jaipur and its members and their courses/certificates are valid for further studies and appointment in the Central and State Government Departments."

- It has come to notice that Council of Boards of School Education in India (COBSE) has been functioning without any authorisation from MHRD using the name of Ministry and trying to build such an image as if COBSE is an autonomous body under MHRD COBSE claims that it grants membership to the Boards which are set up by an Act of Parliament or State Legislature or by Executive order of Central/State Government. These bodies don't require any kind of membership of COBSE.
- COBSE also claims that it is responsible for verifying genuineness/recognition of School Education Board in India. However, It is pertinent to note that COBSE is a private organisation and its membership is voluntary and COBSE has not been established by this Ministry. Moreover, membership of COBSE does not automatically grant the status of recognised Board upon any member Board.

Encl.: As above

All Education Bood.

(D.K. Goel) Ds (SS/SCh.3)

Telefax: 011-23074113 Email: dk.goel@nic.in The Joint Director Estt. (N)-II, Railway Board, Ministry of Railways, Room No. 234, Rail Bhawan, New Delhi.

Copy to:

- 1) The Under Secretary, DOPT w.r.t. their O.M. No. 14021/1/2012-Estt.D dated 20.1.2012, North Block, New Delhi.
- 2) The Principal Secretary, School and Sanskrit Education, 2-2A, Jhalana Dugri Jaipur-302004 w.r.t. their letter no. F.8(28)/ Academics/2012 dated 13th June, 2012
- 3) The Principle Secretary to the Government of andhra Pradesh, School Education (PE) Department, Government of Andhra Pradesh, Hyderabad-500022.

THE PARTY OF SIZE OF THE PARTY OF THE PARTY

J. NO INCH

No. F. 2-35/2011 School.3
Government of India
Ministry of Human Resource Development
Department of School Education & Literacy
School-3 Section

'B' Wing, Shastri Bhawan, New Delhi, Dated, the 7th September, 2012

Office Memorandum

Subject: Recognition of certificates/qualifications awarded by State Open Schools (SOS) for the purpose of employment in Central Govt Offices.

The undersigned is directed to refer to Railway Board's letter No.E(NG)-II/2004/RR-1/14 dated 16.1.2012, forwarded by Department of Personnel & Training, seeking clarification whether Qualifications/certificates awarded by various State Open Schools (SOS) including Rajasthan State Open School, Jaipur and Andhra Pradesh Open Schooling Society (APOSS), are recognized for the purpose of employment in Central Government offices or

- 2. Ministry of Human Resource Development had granted recognition to the Central Board of Secondary Education (CBSE) and national Institute of Open Schooling (NIOS). The State Boards are set up by an Act of State Legislature or by an executive order of the State Government and are responsible to the respective State
- 3. The matter has been consulted with National Institute of Open Schooling (NIOS) which is an autonomous body of MHRD and Concil of Boards of School Education in India (COBSE), an Association of national and State School Education Boards. NIOS has informed that the Rajasthan SOS, Jaipur and APOSS are recognized Boards of secondary and senior secondary education As regards Validity of their certificates for employment purposes. It may be got certified form the respective State Open Schools. (COBSE is responsible for verifying genuiness/recognition of School Education Boards in India). It grants membership to Boards/Institutes that are set up by an Act of Parliament or State Legislature or an executive order of the Central/ State Governments and follow the national Curriculum Framework, 2005 (NFC-2005). The certificates issued by its member Boards are equivalent to any other board across the country. It has informed that APOSS and Rajasthan SOS, Jaipur, are its member and their Courses are recognized

further studies and appointment in the Central and State Government departments

> 10. (D.K. Bhawsar) Deputy Education Adviser

(Tel: 23384187)

Shri Harsha Dass

Joint Director Estt. (N)-II, Railway Board, Ministry of Railways, Room No.- 234, Rail Bhawan,

New Delhi

723040340

Copy to

Shri Pushpender Kumar, US DOPT w.r.t. their OM No. 14021/1/2012- Estt. dated 20.1.2012 North Block, New Delhi

Principal Secretary (Kind attention Mr. Veenu Ructa), School and Sanskrit Education, 2-2A, Jhalana Dugri Jaipur-302004 w.r.t. their letter No. F. 8) By speck page 28)/Academic/2012 dated 13th June, 2012.

The Principal Secretary to the Government of Andhra Pradesh, School Education (PE) Department, Govt. of Andhra Pradesh, Hyderabad - 500022

By speal pos,

(D.K. Bhawsar) **Deputy Education Adviser** (Tel: 23384187)

N. W PLLY. 225845 FOT N°